

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302005
(दूरभाष नं०:-0141-2740837,, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/पदस्थापन /पार्ट-1/अलेसे-III/2049

दिनांक :- 11.01.2025

आदेश संख्या 201 / 2024-25

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार प्रतियोगी परीक्षा-2023 में सफल घोषित होने एवं बोर्ड द्वारा कनिष्ठ लेखाकार पद पर नियुक्ति की अनुशंसा किये जाने पर राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 6 के अनुसार निम्नांकित अभ्यर्थियों को एतद् द्वारा राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में कनिष्ठ लेखाकार के पद पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से 2 वर्ष की कालावधि के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय वेतन-भत्तों पर प्रोविजनल आधार पर नियुक्त किया जाता है। नवनियुक्त कनिष्ठ लेखाकार को एतद् द्वारा निर्देशित किया जाता है कि वे कोषालय, कोटा में आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस की अवधि में कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट कोषाधिकारी को प्रस्तुत करें। कोषाधिकारी नवनियुक्त कनिष्ठ लेखाकारों की कार्यग्रहण रिपोर्ट मय दस्तावेज 7 दिवस में इस विभाग को Email-jacct.dta@rajasthan.gov.in पर एवं विशेष वाहक के माध्यम से प्रेषित करें:-

क.सं.	नाम (सर्वश्री) पिता का नाम/रोल नं.	जन्मतिथि	कोष कार्यालय का नाम	अभ्यर्थी का फोटो
1.	MANISH NAGAR S/O SATYANARAYAN NAGAR 785929	15-10-1996	Kota	
2.	KAPIL RATHORE S/O GIRIRAJ PRASAD RATHORE 787882	10-05-1997	Kota	
3.	JUNED RAZA S/O ABDUL ZABBAR 785183	05-07-1994	Kota	
4.	KULDEEP NAGAR S/O BADRILAL NAGAR 785491	13-11-1993	Kota	
5.	AMAN SINGH S/O NARENDRA SINGH 786122	05-05-2000	Kota	
6.	AVINASH KUMAR S/O GOVIND PRASAD 785212	14-02-1992	Kota	
7.	DEEPAK GOCHAR S/O MAHAVEER GOCHAR 783928	15-08-1999	Kota	



8.	ASHISH YADAV S/O NAVAL KISHORE YADAV 783095	12-08-1993	Kota	
9.	ANIL KUMAR NAGAR S/O SHAMBHU DAYAL NAGAR 785554	15-07-1999	Kota	
10.	VISHAL GAUTAM S/O SATYA NARAYAN GAUTAM 787607	21-05-1992	Kota	
11.	KUNDAN NAGAR S/O KHEMCHAND NAGAR 789107	03-12-1996	Kota	
12.	BHUPENDRA NAGAR S/O MOTI LAL 787310	06-07-1995	Kota	
13.	RAHUL MEHTA S/O PREM CHAND 786792	27-07-1995	Kota	
14.	VISHAKHA RAGHAV D/O VIJAY RAGHAV 789363	01-12-1992	Kota	
15.	MANOJ DADHICH S/O KOUSHAL KISHOR DADHICH 783878	02-09-1995	Kota	
16.	VISHNU GOCHAR S/O MAHAVEER GOCHAR 785094	21-07-1998	Kota	
17.	ANJUM AARA D/O MOHAMMAD SHARIF 789076	30-09-1997	Kota	
18.	MAYANK SHARMA S/O KRISHNA MURARI SHARMA 789158	25-07-2000	Kota	

(Handwritten signature)

19.	MONA SUMAN D/O GIRDHARI LAL SUMAN 788001	10-01-2000	Kota	
20.	JYOTI RATHOR D/O ASHOK RATHORE 783133	30-08-1997	Kota	
21.	MEENAKSHI GAUTAM D/O KUNJ BIHARI GAUTAM 784067	20-05-1996	Kota	
22.	ASHOK KUMAR GURJAR S/O DEVLAL GURJAR 787790	27-11-1994	Kota	
23.	LOKESH KUMAR MEHRA S/O RAMKALYAN MEHRA 785334	06-06-1994	Kota	
24.	AFSANA BANO D/O ABDUL HAMID 783084	15-05-2000	Kota	
25.	PREETI RATHORE D/O RAJENDRA KUMAR RATHORE 784307	23-06-1998	Kota	
26.	KRIKA SHARMA D/O SHAIKENDRA KUMAR SHARMA 789265	21-10-1997	Kota	
27.	GIRIRAJ GURJAR S/O GHANSI LAL GURJAR 787261	20-03-2002	Kota	
28.	AMRITA SINGH D/O FATEH SINGH 783452	24-06-1996	Kota	
29.	POOJA HADA D/O RAJENDRA SINGH 785569	22-09-1992	Kota	

(Signature)

30.	SURENDRA MEGHWAL S/O RADHESHYAM MEGHWAL 784669	06-04-1995	Kota	
31.	ROHIT KUMAR MEENA S/O PRAHLAD MEENA 783731	21-12-1999	Kota	
32.	PREETI SONI D/O MANOJ KUMAR SONI 784714	25-05-1999	Kota	
33.	MEENAL YADAV D/O RAJVEER SINGH YADAV 784337	02-02-2000	Kota	
34.	BHAWANA YOGI D/O RAJENDRA YOGI 788782	18-06-2000	Kota	
35.	BANTI LAL MEENA S/O RAMCHARAN MEENA 788310	20-10-1994	Kota	
36.	KOMAL SAMARIYA D/O B.L. SAMARIYA 784166	28-11-1997	Kota	
37.	VIRENDRA KUMAR ALAWADA S/O NAND LAL ALAWADA 785258	02-07-1983	Kota	
38.	NEETU KANWAR HADA D/O VIJAY SINGH 783572	31-05-1993	Kota	
39.	AMAN VERMA S/O CHITAR LAL VERMA 785072	08-10-2000	Kota	
40.	ADITI DHANGER D/O VEERBHAN DHANGER 788130	18-10-1998	Kota	



41.	PRATEEK KUMAR S/O RAMKARAN 785058	14-12-1996	Kota	
42.	DEVESH MEENA D/O SABU LAL MEENA 787136	02-05-1998	Kota	
43.	ARUN KUMAR SHAKYEWAL S/O TEJ KARAN SHAKYEWAL 789245	20-08-1996	Kota	
44.	AYUSHI DHANGER D/O VEERBHAN DHANGER 784605	25-10-2001	Kota	
45.	RAJESH MEENA D/O PURUSHOTTAM MEENA 787966	29-06-1992	Kota	
46.	RAMLAKHAN MEENA S/O SHAMBHU DAYAL MEENA 787199	14-04-1997	Kota	 RAMLAKHAN MEENA
47.	MAHESH MEENA S/O KANHAIYA LAL MEENA 789013	25-08-1998	Kota	
48.	SHIVANI MEENA D/O SHAMBHU DAYAL MEENA 788277	11-10-2001	Kota	
49.	DIVYA JEENGAR D/O TODARMAL JEENGAR 789091	17-07-1995	Kota	
50.	ANJALI D/O CHHITAR LAL KHINCHI 787301	05-12-1993	Kota	
51.	SONU KUMARI GOCHER D/O KUNJ BIHARI GOCHER 785121	15-02-1997	Kota	

12

52.	KAVITA PAL D/O KAMLESH KUMAR PAL 787460	10-02-1997	Kota	
53.	LAXMI MEENA D/O RAMESHWER MEENA 785502	12-01-1997	Kota	
54.	SHIVANI MEENA D/O MURARI LAL MEENA 783574	29-01-1997	Kota	
55.	JATIN ARORA S/O MAHESH CHANDRA ARORA 785853	11-04-1983	Kota	
56.	NIHARIKA SAINI D/O NARENDRA SAINI 787995	02-08-1994	Kota	
57.	SATYA NARAYAN S/O BABU LAL 787738	08-07-1985	Kota	
58.	RAKESH KUMAR S/O HARI PRASAD 786047	06-08-1985	Kota	
59.	PARASRAM S/O BAJRANG LAL 784937	20-06-1985	Kota	

उपरोक्त अभ्यर्थी को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन दी जाती है :-

1. उक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ15 (1) एफडी/रुल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं दिनांक 09.12.2017 के अनुसार नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित एस०एल०पी० 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अधीन होगा। राज्य सेवा में कार्यरत चयनित अभ्यर्थी सेवानियमों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत पूर्व विभाग से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर कार्यग्रहण करने पर ही पूर्व/विद्यमान की सेवा का लाभ देय होगा।
2. राज्य सरकार के कर्मचारियों को देय पेंशन एवं अन्य सेवा लाभ के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश/आदेश लागू होंगे। यह नियुक्ति अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के अधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी का चरित्र प्रमाण पत्र संतोषजनक प्रमाणित नहीं पाया गया तो उसके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जायेंगे।
3. उपरोक्त अभ्यर्थियों की जन्मतिथि इनके द्वारा परीक्षा आवेदन पत्रों में अंकित एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा/सम्यक् सत्यापन के पश्चात् स्वीकृत जन्मतिथि के अनुसार तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है।



4. दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि सन्तोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त इनका वेतन निर्धारण वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना सं. एफ15(1)एफडी/रुल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं दिनांक 09.12.2017 के अनुसार कनिष्ठ लेखाकार की पे मेट्रिक्स लेवल-10 में एवं नियमानुसार देय भत्तों पर किया जायेगा। परिवीक्षाकाल में इनको कोई वार्षिक वेतन वृद्धि एवं अन्य भत्ते देय नहीं होंगे।
5. यह नियुक्ति राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963, राजस्थान सेवा नियम एवं सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अध्यधीन है।
6. अभ्यर्थियों को राजस्थान सेवा नियमों के नियम-10 के अनुसार जिला स्तर के राजकीय स्वास्थ्य अधिकारी या उसके उच्च स्तर के अधिकारी से स्वास्थ्य के संबंध में संतोष जनक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपस्थिति के समय कोषाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।
7. अभ्यर्थी को कार्यग्रहण के समय निम्नलिखित शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर ही उनकी उपस्थिति स्वीकार्य होगी:-
1. सत्यनिष्ठा संबंधी शपथ पत्र 2. दहेज संबंधी शपथ पत्र 3. धूम्रपान/मद्यपान संबंधी शपथ पत्र 4. चरित्र सत्यापन हेतु प्रपत्र-ए(उक्त 4 शपथ पत्र 50 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प/ई-स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।)
5. पुलिस सत्यापन हेतु अटेस्टेशन फार्म 05 प्रतियों (संलग्न) में भरकर संबंधित कोषालय में प्रस्तुत करना होगा।
8. अभ्यर्थियों को परिवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षाकाल में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा की अवधि स्वविवेकानुसार बढ़ाई जा सकती हैं। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो से अधिक बार अनुत्तीर्ण होने पर इन्हें सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
9. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग-1 में आने वाले मामले को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिये कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।
10. यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष कनिष्ठ लेखाकार होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।
11. उक्त नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस. बी. सिविल रिट पिटीशन नं. 12726/2024 विक्रम वर्मा एवं अन्य बनाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर व अन्य तथा अन्य कनेक्टेड याचिकाओं में दिनांक 09.12.2024 को जारी आदेश के क्रम में प्रस्तुत अभ्यावेदनों के निर्णय के अध्यधीन रहेगी।
12. उक्त नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस. बी. सिविल रिट पिटीशन नं. 202/2025 विनोद पाटीदार व अन्य, 278/2025 मोहित सोनी व अन्य एवं 347/2025 धर्मेन्द्र सिंह शेषमा व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य के निर्णय के अध्यधीन रहेगी।
13. उपरोक्त अभ्यर्थी उक्त आदेश की पालना में संबंधित कोषालय में आदेश जारी किए जाने के 15 कार्य दिवस में कार्यग्रहण नहीं करतें हैं और ना ही किसी प्रकार की सूचना इस विभाग को भिजवाते हैं तो उनके नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

संलग्न:- शपथ-पत्रों के प्रारूप

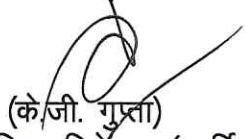

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/पदस्थापन/पार्ट-1/अलेसे-111/2049
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक :- 11.01.2025

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर।
2. शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
4. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, वित्त (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. उपविधि परामर्शी (विधि) कार्यालय हाजा।
6. कोषाधिकारी.....को प्रेषित कर लेख है कि अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के उपरांत ही इनकी उपस्थिति स्वीकार कर उक्त दस्तावेजों सहित जरिये विशेष वाहक कार्यग्रहण रिपोर्ट (सूची सहित) 07 कार्य दिवस में निदेशालय को प्रेषित करावे:-
1. जिला स्तर के राजकीय स्वास्थ्य अधिकारी या उसके उच्च स्तर के अधिकारी से स्वास्थ्य के संबंध में संतोष जनक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
2. सत्यनिष्ठा संबंधी शपथ पत्र
3. दहेज संबंधी शपथ पत्र
4. धूम्रपान/मद्यपान संबंधी शपथ पत्र
5. चरित्र सत्यापन हेतु संलग्न प्रपत्र-ए में शपथ पत्र

6. पुलिस सत्यापन हेतु अटेस्टेशन फार्म 05 प्रतियों में
(उक्त क्रम संख्या 2 से 5 तक के शपथ पत्र 50 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प/ई-स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।)
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव महोदय।
9. उपनिदेशक (एसीपी), कोष एवं लेखा, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं पीआईएस (COINS) में रिकार्ड के संधारण हेतु।
10. संबंधित अभ्यर्थियों श्री/श्रीमती/कुमारी/सुश्री.....को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे कोष कार्यालय में कार्यग्रहण कर कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से कार्यग्रहण सूचना शीघ्र प्रेषित करावें।
11. रक्षित/निजी पत्रावली।


(के.जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक)